बिहार विधान-सभा वादवृत

मंगलवार, तिथि २७ जून, १९७२

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा-सदन में मंगलवार तिथि २७ जून, १९७२ को पूर्वाह्न ९ बजे अध्यक्ष श्री हरिनाथ मिश्र के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ ।

विधान कार्य : सरकारी विधेयक :

बिहार विधान परिषद में उद्भूत तथा उसके द्वारा यथा पारित बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि-अर्जन) (संशोधन) विधेयक, १९७२

श्री चन्द्रशेखर सिंह— अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

विहार विधान-परिषद् में अद्भूत तथा उसके द्वारा यथा पारित विहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा-निर्धारण तथा अधिशेष भूमि-अर्जन) (संशोधन) विधेयक, १९७२ पर विचार हो ।

* श्री कमलदेव नारायण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि इसके संबन्ध में सभा नियमावली के नियम ११९ और संविधान की धारा २०७ के अन्तर्गत राज्यपाल की सिफारिश इस विधेयक के सम्बन्ध में प्राप्त हुई है या नहीं ताकि उसपर विचार हो ।

श्री चन्द्रशेखर सिंह—राज्यपाल की सिफारिश प्राप्त हो गयी है ।

श्री कमलदेव नारायण सिंह—यदि कोई मनो बिल हो तो राज्यपाल की सिफारिश प्राप्त होनी चाहिए । तो राज्यपाल की सिफारिश भी प्राप्त हो गयी । इसलिए मैं आपको संविधान की धारा २०७ के अधीन........

अध्यक्ष - यह मनो बिल नहीं है। फाइनैन्शियल बिल है।

* श्री प्रफुल्ल कुमार मिश्र—यह अमेन्डमेन्ट है इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष—जब मनी बिल नहीं है, तो संविधान को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री कमलदेव नारायण सिंह— अब आप संविधान की धारा १९९ को लें। इसमें ए से एफ तक पढ़ जांय। यह लागू होता है। इसलिए धारा २०७ के मुताबिक इस पर राज्यपाल की सिफारिश चाहिए। यह मनी बिल है इसीलिए तो राज्यपाल की सिफारिश मांगी गयी है ?

अध्यक्ष—क्या आप समझते हैं कि यह मनी बिल है ?

श्री कमलदेव नारायण सिंह—जी हां।

अध्यक्ष इसका हमने विवेचन कर लिया है। अगर आप चाहते हैं तो मैं व्यवस्था दे दूं।

श्री कमलदेव नारायण सिंह—आप संविधान की धारा १९९ के ए से एफ तक देखें और उसके बाद २०७ को देखें।

अध्यक्ष—मैंने देख लिया है। आप जो कुछ कहेंगे मैंने पहले पढ़ लिया है इसलिए मैं अब इस पर व्यवस्था देता हूं।

श्री कामदेव प्रसाद सिंह—यह ऐक्ट कोई नया नहीं है। पहले भी यह आया है। यह अमेन्डमेन्ट है। इसको लेने में कोई बाधा नहीं है।

अध्यक्ष—भारतीय संविधान ने वित्तीय विधेयकों को मोटा-मोटी दो भागों में बांटा है—एक "धन-विधेयक" और दूसरा "साधारण फाईनेन्सियल बिल" (वित्तीय विधेयक)। वित्तीय विधेयकों के १ विधानमंडल द्वारा पारित होने की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद २०७ में किया गया है। इसके अनुसार "धन-विधेयक (मनी बिल)" का पुरःस्थापन विधान-परिषद् में नहीं हो सकता। ऐसे विधेयक का केवल विधान-सभा में ही पुरःस्थापन हो सकता है और वहां भी राज्यपाल की सिफारिश पर ही पुरःस्थापन किया जा सकता है। ऐसे विधेयक की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद १९९ में दी गयी है जिससे यह स्पष्ट होगा कि

केवल वह विधेयक ही धन-विधेयक (मनी बिल) कहा जाता है जिसकी एक मात्र था मुख्य प्रावधान उस अनुच्छेद के खंड (ए) से (एफ) तक में उल्लिखित किसी एक या उससे अधिक विषयों का हो। परन्तु यदि किसी विधेयक में अन्य बातों का प्रावधान हो और आनुषांगिक रुप में अनुच्छेद १९९ के खंड (ए) से (एफ) तक उल्लिखित किसी वस्तु का भी प्रावधान उसमें हो या जिस विधेयक के पारित होने से राज्य की संचित निधि से खर्च करने की आवश्यकता हो जाय तो ऐसा विधेयक नहीं कहा जा सकता है। यह साधारण वित्तीय विधेयक हो सकता है और ऐसे विधेयक का पुरःस्थापन संविधान के मुताबिक परिषद् में होने में कोई बाधा नहीं है। संविधान के अनुच्छेद २०७ (३) के अनुसार केवल ऐसे विधेयक के पारित करने के लिये राज्यपाल की अनुशंसा चाहिये। इस दृष्टिकोण से विचारने पर विचारधीन विधेयक मनी बिल नहीं कहा जा सकता है। यह साधारण वित्तीय विधेयक हो सकता है। और चूंकि इसके पारित होने के लिये राज्यपाल की अनुशंसा अनुच्छेद के २०७ (३) के अधीन प्राप्त है अतः इस विधेयक के परिषद में पुरःस्थापित होने में कोई आपत्ति नहीं थीं।

इसके अतिरिक्त यह उल्लेखनीय है कि विचाराधीन विधेयक जिस मूल विधेयक का संबोधन करता है वह मूल विधेयक भी मनी बिल नहीं माना गया था क्योंकि तत्कालीन अध्यन द्वारा ऐसा प्रमाण उस पर नहीं दिया गया है जबकि संविधान के अनुच्छेद १९९ (४) के अधीन ऐसा प्रमाण उस पर अवश्य रहता यदि वह धन विधेयक होता।

* श्री हरिहर प्रसाद सिंह—कवल इसके कि माननीय राजस्व मंत्री इस विधेयक के वारे में कुछ कहें, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक प्वायन्ट रखना चाहता हूं। बिहार भूदान एक्ट विधान-सभा ने १९६९ में पारित कर दिया। २५ अक्टूबर, १९६९ को समूचे बिहार का दान हो गया। आपने इस कानून को पास कर दिया। सभी आदमीयों ने अपनी जमीन भूदान कर दिया। मैं इसका हमेशा विरोध करता रहा, लेकिन आप विनोवा भावे के फेरे में पड़कर समूचे बिहार को दान कर दिया। सारे विधान-सभा के सदस्यों ने इसका समर्थन किया। उस एक्ट के मुताविक बिहार का दान हो गया, तो आप अब यह क्या तमाशा कर रहे हैं? भूमि के संबंध में अब कोई कानून विधान-सभा में पास नहीं हो सकता है, बिहार दान हुआ, ग्राम दान हुआ और जिला दान हुआ। भूदान में चार लाख

पच्चीस हजार चार सौ पैंतिस एकड़ विहार की जमीन भूदान में दे दी गयी और उसको दो लाख छप्पन हजार लोगों में बाँट दिया गया। ऐसी हालत में कोई बिल पास करना रिडेन्डेन्ट होगा। इसलिये पहले इस बात की आवश्यकता है कि आप इस भू-दान ऐक्ट को बीथड्रा कर लीजिये। आपने संत को ठगने के लिये यह कानून बनाया या जिस तरह से भी कानून बना अब राजस्वमंत्री इसके हकदार नहीं है कि इस बिल को इस सदन में रखें।

* श्री राजमंगल मिश्र—अध्यक्ष महोदय, जब ग्राम दान हो गया और ग्राम-दान की जमीन ग्राम सभा में भेस्ट हो गयी तो जबतक आप ग्राम दान और भूदान ऐक्ट के रिपिल नहीं करते हैं तबतक इस विधेयक को आप सदन में नहीं रख सकते हैं।

इसलिये पहले आपको भूदान और ग्रामदान ऐक्ट को रिपिल कर देना होगा। जबतक भूदान और ग्रामदान ऐक्ट एक्झीस्ट करता है तब तक आपका कोई ऐक्ट रिडडेंट साबित होगा। इसलिये मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार भूदान और ग्रामदान ऐक्ट को रिपिल करना चाहती है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह—इसके सेक्शन (३) में क्लेयर प्रोविजन है कि यह सबको सुपरसिड करता है। इसलिये इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री हरिहर प्रसाद सिंह—आपने एजेंसी ठीक की है। आप बिना हमलोगों से पूछे हुए कर रहे हैं। हमलोगों की सारी जमीन दान हो चुकी है। आपने सब जमीन ले ली है इसलिये आपका यह लागू नहीं होगा।

अध्यक्ष—मैं आपलोगों को सूचना दूं कि जिस अवधि में भूदान का जोर था, मैं भी मंत्रिमंडल का सदस्य था। उस समय मंत्रिमंडल के एक मंत्री महोदय भूदान को समर्पित कर दिये गये थे। मैं नाम बतलाना नहीं चाहता हूँ।

श्री कपिलदेव सिंह—इस बात को आपको और सफाई करनी होगी, जो इस ऐक्ट में है और जो उन्होंने बिल लाया है। जो जमीन भूदान में चली गयी है उसके ऊपर यह कानून लागू नहीं होगा। यह सवाल उठता है कि विहार दान हो गया है, जिलादान हो गया है गाँव दान हो गया है और इस तरह विहार दान हो गया है। इसलिये सारे विहार राज्य में यह कानून लागू नहीं होगा। इसलिये इसकी सफाई कीजिये।

अध्यक्ष—भूदान की जो जमीन है, उसको एवजेम्पशन में रखे हैं।

* श्री कर्पूरी ठाकुर—यहाँ बिहार दान और जिला दान की बात की जा रही है, हमको अचरज है। जिसने दस्तखत करके अपनी जमीन का खाता न०, खेसरा न० और क्षेत्रफल देकर दान नहीं किया वह जमीन कैसे दान हो गयी है। कानून पास हो जाय। लेकिन उसी कानून में लिखा हुआ है कि दान तब माना जायेगा जब अपना दस्तखत करके, खाता न०, खेसरा न०, क्षेत्रफल दिया जायेगा और आपत्ति का समय निर्धारित है जिसने दान दिया है, क्या आपको कोई आपत्ति है, आपत्ति है तो वह बीच में कोई आपत्ति करता है कि हमने दस्तखत नहीं किया हैं। अगर ऐसा नहीं रहता तो हमलोग कैसे अपनी-अपनी जमीन पर खेती करते हैं ?

* श्री सुनील मुखर्जी—मानलीजिये की वह सब ऐक्ट है, मगर इस ऐक्ट में यह प्रोविजन है कि यह पहले के सब ऐक्ट को सुपरसिड करता है। तो ठीक है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह—अध्यक्ष महोदय, सेक्शन—३ को मैं पढ़कर सुना देता हूँ।

* श्री विनायक प्रसाद यादव—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट औफ और्डर है।

अध्यक्ष—आपका क्या प्वायंट औफ औडंर है ?

श्री विनायक प्रसाद यादव— मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि भूदान ऐक्ट में एक सेक्शन है कि जिसने जमीन दी वह दस्तखतकरे या नहीं डी० सी० एल० आर० एक नोटिस इशू करें कि १५ दिन के अन्दर जिनकी औब्जेक्शन करना हो, करें, १५ दिन में कोई औब्जेक्शन नहीं आया तो उसे अधिकार है उसे कनफर्म कर देने के लिए और भूदान ऐक्ट के प्रावधान के अनुसार कनफर्म हो जायगा। जब वह कनफर्म हो जायगा तो उसकी सिविल कोर्ट ही इन्टरवीन करके तोड़ सकता है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह—इसमें साफ प्रोविजन है। वह है कि :

The provision of this Act shall bave effect notwithstarding anything to the contrary contained in any other law, custom usage or agreement, for thc time being in foree or in any decree or order of any Court;

Provided that nothing contained in this Act shall be deemed to have any effect on the provision of the Bihar Bhoodanya gna Act, 1954.

यह सबको सुपरसीड करता है। भूदान की, ग्रामदान की अपनी समस्याएँ हैं जिन्होंने जमीन दी है उसमें इससे कनफलीक्ट नहीं है और यदि कनफलीक्ट हो भी तो इसका समाधान इस ऐक्ट में मौजूद है।

* श्री कामदेव प्रसाद सिंह — हमारा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि संथाल प्रगना जिले को भी कवर करना चाहिए, वहाँ की जमीन का भी बंटवारा हो आज ही, वहाँ जो ज्यादा जमीन है उसे इस ऐक्ट के अन्दर आना चाहिए। संथाल प्रगना ऐक्ट में एक सेक्सन है जिसके मुताबिक वहाँ कोई जमीन ट्रांसफर नहीं होती है, वहाँ भूदान भी लागू नहीं है, ग्रामदान भी लागू नहीं है, जीवन दान भी लागू नहीं है, इसलिए इस ऐक्ट के माध्यम से हम ऐसा प्रोविजन चाहते हैं कि संथाल प्रगना ऐक्ट में जो ज्यादा जमीनवाले हैं उनको भी इसके अन्तर्गत लिया जाय चूँकि जितने ऐक्ट हैं, सदन में ये कहते हैं कि सब लागू हो गया लेकिन मैं सुझाव देना चाहता हूं कि वहाँ एक इंच जमीन ट्रांसफर नहीं होगी।

अध्यक्ष – आपने सूचना दी, लेकिन यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री सुनील मुखर्जी— जो प्रावधान बिहार लैंड रिफौर्म्स (फिक्सेसन ऑफ सीलिंग ऑफ एरिया ऍंड ऐक्वीजीशन ऑफ सरपलस लैंड) ऐक्ट, १६६१ का राजस्व मंत्री ने पढ़कर सुनाया उसे सरकार या तो अमेंड कर दे या डिलीट कर दें तो हो सकता है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह— भूदान की जो जमीन है उसको हमलोगों ने एक्जेम्पट कर दिया है।

* श्री राजमंगल मिश्र— यह तो भूदान की बात है, ग्रामदान के बारे में भी यह लागू नहीं होगा। इसलिये इन दोनों ऐक्ट को रिपील कर दें।

श्री चन्द्रशेखर सिंह— माननीय सदस्यों के विचार पर ध्यान रखूँगा। अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव को पेश करते हुए सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं इतना निवेदन करूँगा कि पूरे सत्र में हमलोग अनेक विषयों

पर विचार-विमर्श करते रहे और माननीय सदस्यों की आलोचनाएँ हुई अधिकतर कोई विकास कार्यों को लागू करने के संबंध में या प्रशासनिक खामियों के संबंध में। मैं निवेदन करुँगा कि किसी भी सरकार का चित्र प्रशासनिकयंत्र किस तरह काम करता हैउसे परिलक्षित नहीं होता है बल्कि वह सरकार जो विकास का काम करती है, जैसे स्कूलसड़कके निर्माण आदि का काम उससे परिलक्षित होता है उसका चित्र कुछऐसेमुद्दे हैं जिनसे सरकारका चित्र परिलक्षित होता है। इसलिए मौजुदा सरकार जमीन की हदबंदीसंबंधीजो विधेयक ला रही है तथा शहरीसंपत्ति के सीमा-निर्धारण जो बिल ला रही है उनके द्वारा सही चित्र जनता के समक्ष उपस्थित हो रहा है। मैं कल से ही विरोधी दल के नेता का भाषण ध्यान से सुन रहा था। उनका एतराज था कि विधि-व्यवस्था ठीक से लागू नहीं हो रही है यथा उन्होंने कहा कि विकास का कार्य आगे नहीं बढ़ रहा है। किन्तु उन्होंने सरकार की भूमि-नीति के बारे में कोई एतराज नहीं किया। मैं समझता हूँ कि आज जो स्थिति है और जो कदम उठाये जा रहे हैं उससे किसी भी राजनीतिक दल को कोई शिकायत नहीं है। मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाऊँगा कि आपके नेतृत्व में सरकार बनी थी जिसने एक कमिटी बनायी थी कि लैंड की सीमा कितनी होनी चाहिये और कबसे लागू होना चाहिये आदि बातों की जाँच करने से लिये। संभवतः उस कमिटी को भंग कर दी गयी। तो आपको पता नहीं है कि भूमी की जो सीमा हो रही है वह कितनी की हो रही है।

और यही कारण है कि अविश्वास के प्रस्ताव पर बोलते हुए सरकार की भूमि नीति के सम्बन्ध में किसी ने कोई इतराज नहीं किया है। इसका यह भी कारण है कि आपको अपनी नीति का ज्ञान नहीं है। हमलोगों ने स्पष्ट रूप से जनता के सामने अपना चित्र उपस्थित किया है। हमें इस क्षेत्र में स्पष्ट और ठोस कदम उठाना है। हमलोगों को इसमें एक पक्षीय खयाल नहीं रखना है। बिहार का आर्थिक विकास होना चाहिये तथा साथ ही-साथ बिहार के अन्दर सामाजिक न्याय की भी स्थापना होनी चाहिये। इसे सोशल जस्टिश होना चाहिये। हमलोग दो प्रकार के विचार जो हो सकते है करते हैं। सामाजिक न्याय आदि पर विचार करते हैं। सम्पत्ति के केन्द्रीयकरण को खतम करने के लिये विचार उपस्थित किया गया है। आज बिहार में बड़ी खुशी की बात है कि हमने जो पहले बयान दिया था कि इस प्रकार का विधेयक आयेगा, वह आ गया है और काफी सदस्यों ने इसका

समर्थन किया है। यह बात सही है कि भूमिवान लोगों के अन्दर ममता है, लेकिन वे समझ गये हैं कि इस सरकार में ऐसे तत्व के लोग हैं जो उनकी जमीन लेकर भूमिहीनों में बांट देंगे और गरीब लोग भी अब यह समझ गये हैं कि सरकार उनको जमीन देगी। अब हम कानून को लागू करने की आशा करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन विधेयक में जो बातें हैं उनका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि सिलिंग का अधार अर्थात हदबन्दी का आधार व्यक्ति नहीं, परिवार माना गया है। आज पूरे देश में और राज्य में इस पर दो राय नहीं है। संविधान में संशोधन के बाद आज हमारे सामने परिवार का स्पष्ट नक्शा है। दो फसल वाली जमीन १५ एकड़ है और इसी के आधार पर अन्य जमीनों का है। कुछ वर्ष पूर्व भूमि की सीमा को हदबन्दी से बचने के लिये कुछ लोगों ने अपने माइनर बच्चे और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच जमीन को बांट दिया है, लेकिन बांटने के बाद भी सरकार उसको समेट लेगी। परिवार ही जमीन की हदबन्दी मानी गयी है, व्यक्ति नहीं। आज इस बिल को जिन्दा करने की जरूरत है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले सी० एस कानफेरन्स की एक उप-समिति बनायी गई "सेन्ट्रल लैंड कमिटी" जिसका बिहार राज्य भी सदस्य है। और इस समिति का गठन १९७० में हुआ था और आज तक बिहार राज्य इसका सदस्य रहा है और चूंकि मुझे लगातार इस विभाग में रहने का मौका रहा है इसकी तमाम बैठकों में भाग लेने का मौका मिला और उसकी सिफारिश थी, लेकिन माननीय सदस्यों को और आपको याद होगा कि पिछले वर्ष दिसम्बर के लगभग हमलोगों में अध्यादेश जारी किया। जो पेरन्टऐक्ट था उसमें संशोधन किया गया। अध्यादेश की जो अनुशंसायें हैं उनके अनुसार ही विधेयक में संशोधन की मांग की गई है और इसे विधेयक में स्थान दिया है। अभी सेन्ट्रल लैंड रिफार्म कमिटी ने इस बात के लिए सिफारिश की अगर ५ से अधिक सदस्यों का परिवार हो तो हर अधिक सदस्य के लिए जमीन देना उचित है और हमलोगों में मौजूदा संशोधन में डेढ़गुणा रखा है। इस संशोधन विधेयक में आवश्यक व्यवस्था इस बात की आयी जो पेरेन्टऐक्ट में कोई पेनल क्लाज नहीं था, इसमें पेनल क्लाज इन्ट्राड्यूस किया गया है कि अगर जानबूझ कर इसके कार्य में कोई बाधा पहुँचायेगा

समय पर रिटर्न नहीं देगा या गलत रिटर्न देगा तो ऐसे लोगों को ६ माह तक कारा-वास या २ हजार रुपया का जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है। अध्यक्ष महोदय, सरप्लस लैंड के बारे में भी पेरेन्टर ऐकट में जो कनफयूजन था, जो स्पष्ट चित्र नहीं था कि ग्राम पंचायत में वेस्ट करेगा या को ऑपरेटिव बनाया जायेगा। इस संशोधन बिल में स्पष्ट रूप से इसका समावेश किया गया है कि गरीबों को जमीन दी जाएगी और हमने देखा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जमीन देने के बाद कुछ आर्थिक परिस्थिति में, दवाव में और अपनी कमजोरियों की वजह से वे जमीन को बेच देते हैं इसलिए यह व्यवस्था रखी गई है कि उनका हक हेरिडेटरी रहेगा, उत्तराधिकारी होगा लेकिन बेचने के अधिकारी नहीं होगें। एक बार जिनको जमीन दी जाए वह परिवार बरावर जमीन के मालिक बने रहे। और भी रिटेश-शन के क्लाज देखेंगे उसमें काफी ड्रासिटक तरीके से हमलोगों ने उसको रिड्यूस किया है चाहे वह शुगर केन फार्मस के सम्बन्ध में हो या किसी दूसरे का। प्लान्टे-शन को हमलोगों ने बिलकुल समाप्त कर दिया है और जो रिलीजियस ट्रस्ट के सम्बन्ध में व्यवस्था पेरेन्ट ऐकट में थी उसको भी काफी कम कर दिया गया है। कुल १५ एकड़ क्लास वन लैंड की छूट उनको दी गयी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कानून को लागू करने में अक्सर शिकायत रहती है कि पिछले कुछ दिनों से इस कानून से वचने के तरह-तरह उपाय किये गए हैं और भूतलक्ष्मी कानून को बनाना आवश्यक है और इसके लिए ९ सितम्बर, १९७० से प्रभावी किया है और हम समझते हैं कि यह खास करके संगल हैं कि उस तारीख से स्थानान्तरण रोकने के लिए अध्यादेश जारी किये गए और उस तिथि से इसको लागू कारगर ढंग से कर सकेगे। अन्त में मैं दो एक बातों की चर्चा करूँगा। मैं आपसे कहना चाहता हुँ कि बिहार सूबे में जमीन के सम्बन्ध में नक्शा क्या है। अभी हाल में नेशनल सैम्पल सर्वे हुआ है कि जो जमीन का वितरण है वह काफी असंतुलित है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक एकड़ से कम की जो होल्डिग है वह ३१·१७ प्रतिशत है टोटल नम्बर आफ होल्डिग का और उनके पास जमीन कितनी है? १·१२ प्रतिशत लैंड ऐसे लोगों के पास है। तीस एकड़ से अधिक जो होल्डिंग्स हैं वे आज २ प्रतिशत लोगों के हाथ में हैं और इनके पास कुल जमीन का २०·५ प्रतिशत है। इसलिए आज यह स्पष्ट है कि इस प्रकार का कानून लागू होना आवश्यक है जिससे जमीन का जो वितरण असंतुलित अवस्था में है उसे

हम कुछ नया संतुलन दे सकें। अगर समाज के अन्दर शक्ति पर जो अधिक आधारित है उसकी व्यवस्था करना चाहता हूं तो आवश्यक है कि हम मौजूदा संतुलन को कुछ-न-कुछ अपनी जगह से हटाने की चेष्टा करें। हमने आपके सामने जो आकड़ा रखा उससे स्पष्ट है कि आज काफी असंतुलित अवस्था है भूमि के वितरण की। आज इस कानून को लागू करने से एक नया संतुलन अपने राज्य में साबित हो सकेगा। अध्यक्ष महोदय, एक बात की आलोचना की जाती है कि इस तरह के कानून के पास करने से जमीन के उत्पादन पर गहरा धक्का लगेगा और ऐसे आलोचक कहते हैं कि हरित क्रान्ति की जो शुरुआत की गई है इस अवस्था ही में वह समाप्त हो जाएगी इसलिए इस प्रकार के कानून को नहीं आना चाहिए मैं आपसे निवेदन करूँगा, यो तो अभी इस सम्बन्ध में जितना अध्ययन हुआ है, जितने प्रकार के सर्वे हुए हैं वे यही दिखाते हैं कि अपने यहाँ का जो ऐग्रिकलचरल स्ट्रक्चर है कृषि उत्पादन के क्षेत्र में वह साइज न्यूट्रल है, उसमें जमीन के आकार का कोई असर नहीं पड़ता है और यह इसलिए कि आज छोटे किसनों का इनपुठ्स नहीं है कि अधिक उपज का उसमें समावेश कर सके। हमें और आपको भी अनुभव है कि जो छोटे किसान है वे अपनी जमीन में इनसेन्टिव तरीके से खेती कर सकते हैं इसलिए हम समझते हैं कि इस प्रकार की जा आशंका की जाती है वह सर्वथा निमूल है। जो स्टडी समितियाँ ने की है वे हमें इस बात की ओर ले जाती हैं कि अगर १५ एकड़ तक इनपुट्स बराबर मिले और सभी बातों में समान अवसर मिले तो १५ एकड़ तक में प्रोडकशन उचित अनुपात में बढ़ सकता है, उत्पादन की क्षमता बढ़ सकती हैं और उसके बाद उत्पादन नीचे की ओर जाने लगता है।

* **श्री शकूर अहमद**—१५ एकड़ में कितना ऐनुअल इनकम उठ सकता है ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह—१५ एकड़ के बाद प्राडकशन डाउनवर्डकी ओर जाने लगता है। इसलिए यह आशंका कि छोटे किसानों को, गरीब लोगों को इतनी जमीन देने से वे खेती ठीक से नहीं कर सकते सर्वथा निमूंल है। लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार को इसके साथ-साथ एक दूसरा उपाय भी करना पड़ेगा। जिसको हम जमीन देते है, छोटे किसान को जमीन देते हैं उनको इसके साथ-ही-साथ क्रेडिट सपोर्ट भी देना पड़ेगा और इसलिए सरकार ने निश्चय किया है कि सरप्लस लैंड युटिलाइजेशन बोर्ड का गठन किया जाए जिसके मारफत गरीब तबके को क्रेडिट का चैनल मिल सके। इसके लिए ऐसी सहायता देनी होगी जिसमें कि अधिक-से-

अधिक उत्पादन अपनी खेती से कर सकें। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि कितने इनकम की अपेक्षा करते हैं। १५ एकड़ से ? अध्यक्ष महोदय, मैं यह स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि आज इस बात की चर्चा बहुत क्षेत्रों में होती हैं कि इस कानून के जरिए जो किसान वर्ग हैं उनकी आय को सीमित कर रहे हैं और यह नारा अभाग्यवश चन्द क्षेत्रों से निकल रहा है। मैं जानता हूँ कि आज किस निगाह से यह नारा लगाया जा रहा है, लेकिन मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि जमीन की हदबन्दी की जा रही है लेकिन उस जमीन से कितनी आमदनी हो रही है इसपर कोई हदबन्दी या सीमा नहीं लगायी जा रही है, इस तरह की बात इस कानून के अन्दर नहीं है। अगर १५ एकड़ में किसान इनपुट लगावें तो ५ वर्ष के बाद फसल तीन गुनी हो सकती है - तो ऐसे इनकम पर सीलिंग लगान की बात नहीं है और इसके साथ-ही-साथ जो फारमर्स हैं, किसान हैं वे मन ऐग्रिकंलकरल सोरसेज से आमदनी करेंगे उसपर भी कोई सीमा इसके अन्दर नहीं है।

इसलिये किसी प्रकार की चाहे जमीन हो या जमीन से बाहर की कोई चीज है—दूसरे श्रोतों से जो किसानों की आमदनी होती है उसके ऊपर भी सीमा लगनी चाहिये यह गलत नहीं किया गया है। जमीन आज सम्पत्ति मूर्त रूप है और जमीन चूँकि कम है इसलिए ऐसे लोगों को भी जमीन मिलनी चाहिये जिनके पास जमीन नहीं है। जिस चीज की कमी होती है, शौर्टेज होती है—आपूर्ति सीमित रहती है, उस परिस्थिति में बराबर तरीके से, न्यायायिक तरीके से उसे बाँटने की हम चेष्टा करते हैं। जमीन के सम्बन्ध में यही स्थिति है। आज आबादी काफी तेजी से बढ़ रही है इसलिए मैं आवश्यक समझता हूँ कि जमीन का कानून बनना चाहिये। महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ विचार का प्रस्ताव पेश करता हूँ और जो विधेयक पेश किया है, आशा है कि इसका समर्थन माननीय सदस्य करेंगे और इनक्लाबी बुनियादी परिवर्तन का काम जो मैं करना चाहता हूँ इसमें सारे सदन के सदस्य साथ देंगे।

* श्री हरिहर प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

परिषद द्वारा यथापारित विहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि-अर्जन) (संशोधन) विधेयक, १९७२ एक प्रवर समिति को इस

निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने के तिथि से पाँच दिनों के अन्दर दें।

महोदय, केवल इसके कि मैं इस संशोधन पर बातें कह सकूँ—हमारे दोस्त गलत प्रचार करते हैं हमलोगों के बारे में कि ये लोग विधेयक को रोकना चाहते हैं। मैं उनके भ्रम को दूर करना चाहता हूँ। उन्हें गलत धारणा है उनको भ्रम में नहीं रहना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, जिन बातों की चर्चा इस विधेयक में है वह आज का विधेयक नहीं है यह १९५३-५४ से ही है। आज हमारे दोस्त गरीबों के मसीहा होकर अपनी बात कह रहे हैं और ऐसा लगता है कि वे एक ऐसा परिवर्तन करना चाहते हैं जैसा अभी तक नहीं हुआ है। सारी बातें प्रोसिडिंग्स में हैं आप प्रोसिडिंग्स पढकर देख सकते हैं।

हम देख रहे हैं कि बड़े-बड़े नेता बैठ गये हैं। चूँकि आप लोग सोचियेगा कि पुराना आदमी सही बात नहीं कर सका इसलिये मैं कुछ बातें कहदेना चाहता हूँ। उस दिन जब यह विधेयक पास हो रहा था तो सीलिंग कम कर दी गयी, पांच एकड़ था उसको तीन एकड़ कर दिया गया। माननीय नव जवान दोस्त समझते हैं कि एक अहम समस्या को लेकर यह विधेयक लाया गया है। इसलिये इसको जल्दबाजी से पास नहीं किया जाय। और इस विधेयक के एक प्रवर समिति को सौंपा जाय। हमारे लिये क्या ? यह तो हम आप लोगों के लिये कहते हैं।

* श्री तेजनारायण झा!—या जिस वर्ग की प्रतिनिधित्व करते हैं उसके लिये कहते हैं।

(इस अवसर पर उपाध्यक्ष ने आसन ग्रहण किया)

श्री हरिहर प्रसाद सिंह—आप जानते होंगे कि हमलोगों ने अपने हाथ से जमींदारी उन्मूलन विधेयक पास किया था। अगर ऐसी आवश्यकता रहे तो सुनील बाबू के मुताबिक जमीन स्टेट का हो जाय और हम मजदूर हो जायँ, वह होकर रहेगा। आपका साधन है नियुज पेपर, आपका है, आप यह छपवा दीजिये कि हमलोग विधेयक को रोकना चाहते थे। हम आप से कहना चाहते हैं कि एक जमाना था जब हम भी अपने बुजुर्गों से पूछते थे और यहाँ भी बहुत पहले हमने एक महोदय, से पूछा तो उन्होंने सलाह दी की हर आदमी को बराबर-बराबर जमीन बाँटी जाय।

तो हमने कहा कि क्या जमीन सत्यनारायण जी का प्रसाद है जो इस तरह से लोगों में बांट दीजियेगा ? लोग कहते है कि टीलर ऑफ दि सोएल के पास जमीन जाये । ५ कट्ठा जमीन जो बाँटी जायेगी तो क्या इस जमीन में खाली आलू, प्याज, और भन्टा ही पैदा किया जायेगा, या चावल, दाल और गेहूं भी खाना होगा । हमारे बगल में हमारे दोस्त बैठ हुए हैं उनकी बिरादरी के लोग एक्सटेन्सीभ खेती करते हैं । हमारे राजस्वमंत्री को क्या ज्ञान होगा ? वे तो कभी जमीन पर गये नहीं, धरती पर गये नहीं । वे तो अकास पर रहे हैं । उनको ज्ञान तो दिल्ली का है । हन विधेयक का विरोध नहीं करते हैं । यह कानून तो १२ वर्ष से बना हुआ है, लेकिन कितनी सरकारें आयीं और गयीं लेकिन इसे लागू नहीं किया गया । इसमें हमारा दोष क्या है ? आप इसे टालना नहीं चाहते हैं, यह कानून इस राज्य में लागू हो । आपने कमपेन्सेसन देने का कोई हिसाब नहीं रखा है जो आपकी मरजी होगी वह आप दीजियेगा जहां १० हजार एकड़ जो जमीन खरीदी गयी है उसको आप ६०० एकड़ का दाम दीजियेगा । यह तो सरासर बेइन्साफी होगी । मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगा । आप कानून बनानेवाले हो सकते है, लेकिन कानून को इन्टरपरेट नहीं कर सकने हैं । लेकिन हम समाज का कानून जानते हैं और यह कानून हमने सीखा है । आपने कहा कि २० एकड़ से बेशी जमीन रखनेवाले आज २ परसेन्ट है । आज २ परसेन्टवालों से क्यों नहीं जमीन छीन ली ? आपने ऐसे लोगों को सरजीह दिया है जिनके पास १० हजार २० हजार एकड़ जमीन है । आपको इस पर बहस करना शोभा नहीं देता है । इसके लिये तो कानून बन गया है २० एकड़ का लिमिट कर ही दिया गया है । यह भी हमने नहीं कहा था कि किसी को दस बीस हजार सकड़ जमीन छोड़ दी जाय । लेकिन यह भी सही है कि यदि आप एक डेढ़ एकड़ जमीन भी किसी को दे ही देंगे तो इससे भी कुछ होनेवाला नहीं है । लोकों की आवश्यकता रहेगी ही जमीन बिकेगी ही । यह तो आप और हम सब देखते हैं और देख चुके हैं कि जमीन आज आपके पास है तो कल्ह मेरे पास रहेगी यह न किसी के यहां स्थिर रूप से रही है और न रहेगी । हम तो रोज देखते हैं कि जो आज जमीन वाला है वह कल्ह सड़क पर भटकते चलता है और जो सड़क पर भटकते चलता है वह मोटर पर चढ़कर चलता है । आज देश की जो आवादी बढ़ रही है उसमें जमीन लेने से सरकार को फायदा नहीं होगा । इस देश की तरक्की के लिये लैंड सीलिंग आवश्यक नहीं है । बढ़ती हुई

आवादी को देखते हुए मुझे विश्वास नहीं हैं कि यह आपका सफल होगा। राज्य में कुल दो अढ़ाई करोड़ एकड़ जमीन है जिसमें से आपको बहुत कम मिलेगा, जिससे कुछ होनेवाला नहीं है। खेती में कुछ खेतिहर मजदूर की, कुछ खेतिहर किसान की आवश्यकता होती है। इसलिये आप यह सब करके लोगों को भ्रम में न डालें। इसलिये मैं कहता हूं कि इसे सलेक्ट कमिटी में भेज दीजिये। इसकी खामियों के बारे में बहुत चर्चा करवाना नहीं चाहता हूं। मुआवजा देने की बात है, लेकिन इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। यह जो मुआवजा है उससे क्या होने जा रहा है जैसा कि अभी बाजार में प्रचलित मूल्य है जमींन का उसको देखते हुए। आप मनु द्वारा दिये हुए अधिकार को इसके जरिये खतम करना चाहते है। इस बिल के अनुसार जो लड़का पेट में रहेगा उसका हक तो मिलेगा ही नहीं जबकि हिन्दू धर्म में बच्चे के पेट में उत्पत्ति होते ही हिस्सा हो जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार मनु को ही खतम करना चाहती है। इस कानून के जरिये आप उसके शेयर को काट देंगे। लगता है आप इस कानून के जरिये मनु और मुस्लिम कानून दोनों को मार देंगे और अब सब चीज नयी होने लगेगी। इसमें आपने पति, पत्नी और नावालिग बच्चे का परिवार माना है यदि उसमें एक लड़का है तो उसको भी एक सीलिंग देंगे, लेकिन वाइफ अगर अपने नैहर से कुछ लाती है तो उसका क्या होगा? लगता है कि सरकार चाहती है कि बुढ़ापे में लोग डाइवोर्स करे, जैसा कि पंजाब में धरल्ले से हो रहा है। हमारे एक साथी को औरत रहते में शादी करनी थी तो लोगों ने उसे कहा कि सिक्ख हो जाओ और कर लो क्योंकि दोनों एक दूसरे जाति के थे। इसी तरह से एक आदमी को अपने साली से शादी करनी थी तो उसे लोगों ने राय दी कि मुसलमान हो जाओ और कर लो, उसने वैसा ही किया भी। मुझे तो लगता है कि सरकार इस कानून के जरिये इस चीज को प्रोत्साहन देना चाहती है। इस कानून में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है कि यदि कहीं तीन नावालिक बच्चे हैं और उसका मां-बाप कोई नहीं है तो वह कहां जायेंगे? इसके बाद किसी परिवार में एक वालिग लड़का है ओर दो नावालिक लड़के है तो वहां पर क्या होगा? हलांकि हमको इस सीलिंग का डर नहीं है क्योंकि मेरे पास तो शिवजी की वारात है। लड़के का लड़का तक बालिग हो चुका है डरें शास्त्री जी।

मैं पूछता हूं कि क्या होगा ? क्या व्यवस्था होगी हुजुर ? एक वक्त था कि मिताक्षरा लॉ के अनुसार लड़की का हक शेयर नहीं होता था। उसमें अमेंटमेंट हुआ और उसके मुताबिक लड़की का शेयर हुआ। हम मरेंगे तो हमारी लड़की को शेयर मिलेगा। कानून के अनुसार कोई लड़का मांग जायेगा, कहेगा कि हम अलग हो गये तो वह हमसे अलग हो जायेगा। अभी जो कानून है उसके मुताबिक अगर कोई लड़का इच्छा जाहिर करेगा कि अलग होंगे तो वह अलग हो जायगा। यही कानून है, सदन में जो हमारे भाई वकील है वे इस चीज को जानते है। अब सीलिंग रहेगी जिसमें दो लड़का, एक लड़की भी रहेगी और हसबैण्ड तथा वाइफ। हम मर गये तो लड़की गयी, उसको नहीं मिलेगा। दो लड़का आधा आधा का मालिक हो जायेगा। लेकिन एक तीसरा बेटा जो अभी नहीं आया है; मगर आ गया तो उसका तो कसूर नहीं है कि वह पहले नहीं आया। ऐसे लड़के को कम मिलेगा और दोनों लड़के ज्यादा ज्यादा पहले ही ले लेंगे। तो इन सब बातों को हम चाहते हैं कि निवटारा हो जाय। हम यह नहीं चाहते है कि कानून पास नहीं हो। पास हो, लेकिन संशोधन करने के बाद।

भुदान में क्या हुआ, आपने देखा ? ग्रामदान, प्रान्तदान। पता नहीं; क्या-क्या दान हुआ ? बड़ी-बड़ी ढिढोरा पीटा गया। लेकिन क्या हुआ ? आप जानते है बदकिस्मती से हम चीफ मिनिस्टर हो गये थे। हमारे दोस्त ने मीटिंग की थी। हमारे जयप्रकाश बाबू भी उस मीटिंग में थे। हमारी भी उसमें बुलाहट हुई थी। लोगों ने कहा कि भुदान के बारे में आपका क्या कहता है ? हमने कहा कि हम इसमें विश्वास नहीं रखते है। इसपर लोगों ने कहा कि सरकार इसको मानती है। हमने श्री बिनोदानन्द झा से खुद कहा कि हमें विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा कि आप इसमें काम करें हमने कहा कि हमारे पास जमीन है, दो चार बीघा दे सकते हैं। हमने सभी का आदर सत्कार किया। लेकिन जमींन नहीं दी इसलिए उसमें विश्वास नहीं था। हमाहु श्री कर्पूरी ठाकुर जी च्या क्या कहते हैं आप भी सुनते हैं। हजुर भी सहरसा क रहनेवाले है आप अच्छी तरह जानते है। आपके जिले में सभी जमीन दान में चली गयी लेकिन आप जानते हैं कि लैंड-होल्डर को इसकी खबर नहीं हुई। सभी तेजी से दान हो गयी। लेकिन क्या हुआ, आप जानते हैं। मैं कहता हूं कि इसको पास करते उसको भी देखिए। बहुत सारी बातें है। आपकी घबराहट को हम समझते है। फिर बातें होगी। अभी तो बहुत सारी बातें हैं। प्रवर समिति में इसे भेजा चाये। उसमें जाना जरू री है।

इसलिए मैं कहता हूं कि जल्दी में आप मत चलिए। जल्दीवाजी का काम अच्छे आदमी का नहीं होता है। मैं इस जिले के लीगल प्रावधान के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं। अभी सिर्फ यह चाहता हूं कि सैधान्तिक रुप से आप इस विल को स्लेक्ट कमिटी में भेजिये। आप मुझको उसमें मत रखिये। हकारे एक दोस्त कहते हैं कि विधेयक को स्वीकृत कराने का मतलब यह है कि ला कोर्ट में जाकर यह खत्म हो जाये तो मैं इसमें पार्टी नहीं हो सकता। मैं जो काम करता हूं ठीक से और ईमानदारी के साथ करना चाहता हूं। अगर यह पारित हो गया तो इस सदन की बुद्धि का यही दशा होना है। इसलिए मैं कहता हूं हुजूर, कि आप फिर से सोचिए, जिन लोगों से राय लेना हो राय लीजिये कि इसकी जरूरत है या नहीं। मैं पहले भी नहीं जानता था और अभी भी नहीं जानता हूँ कि ये 'मतलवी' क्या बला है। हमारे कर्पूरी ठाकुरजी भी नहीं वतला सके। भोलावाबू भी नहीं वतला सके, लेकिन किसी ने वतलाया कि यह भूतलक्षी क्या है। १९६२ में कानून बना, सभा ने पारित किया, गवर्नर का दस्तखत हो गया, उसके वाद जमीन बन्दोबस्त कर दी गई और अब आप कहते हैं कि यह भूतलक्षी होगा। तो यह आदत खराब है। जाज आप कहते हैं कि १९७० से यह भूतलक्षी होगा कल कोई दूसरा ज्यादा क्रान्तकारी आ गयातो वह कहेगा कि यह पिछले ५० वर्षों से भूतलक्षी होगा। तो इससे आपजान छोड़ाइये और दो ही चार दिन के लिये प्रवर समिति में उसे भेजकर दिखलाइये या ऐडवोकेट जेनरल को वुलाइये वे सदन को कंविन्स कर दे तो कीजिये। वरन, अगर अनपार्लियामेंन्टरी नहीं हो तो मैं कहूँगा कि गूँगे वहरों की जमायत है जो चाहिये कर दिजिये।

श्री कपिलदेव सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक अभी सदन में प्रस्तुत किया गया है इसको प्रस्तुत करते हुये माननीय राजस्व मंत्री ने संक्षेप में बड़ा ही क्रांतिकारी भाषण देकर अपनी भूमिका दिखाने की कोशिश की है। हमारे सरदार साहव ने ठीक ही कहा है कि वे जमीन पर कभी गये नहीं लेकिन जमीन के वारे में क्रांतिकारी भाषण दे सकते हैं। हमारे भी वे मित्र हैं, जिला के हैं; नजदीकी हैं मैं जानता हूँ कि क्रांतिकारी भाषण देने की उनकी आजकल आदत सी हो गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि यह जो अधिनियम है यह कोई नया अधिनियम नहीं है।

इसमें जो संशोधन किया गया है वह पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ। धारा २ में संशोधन किया गया। धारा ४ के स्थान पर एक नयी धारा रखी गयी। पहले था एक आदमी को १ न० जमीन २० एकड़, अब ५ आदमी परिवार के लिए १५ एकड़, बी श्रेणी की जमीन ३० एकड़ पहला कानून में, अब १८ एकड़, सी श्रेणी की जमीन पहले ४० एकड़ अब ३० एकड़, डी० श्रेणी की जमीन पहले ५० एकड़ अब ३७½ एकड़, ई० श्रेणी की जमीन पहले ६० एकड़ और अब ४५ एकड़ यह है धारा ४, जिसमें नया प्रारूप दिया गया है। धारा ५ में नयी धारा जोड़ी गयी जिसमें २२ अक्टूबर १९६९ से बँटवारा करने का था, उनकी जगह पर नवम्बर १९७० से भूतलक्षी प्रभाव दिया गया। वासगीत जमीन पहले १० एकड़ थी अब एक एकड़ की गयी। बाग और बागीचा पहले १५ एकड़ रखी गयी थी अब ३ एकड़ करने जा रहे हैं। ५ से अधिक आदमी होने पर १/१० जमीन का सीलिंग होगा। धारा ६ में मैजिस्ट्रेट को विशेष अधिकार दिया गया है, धारा ८ में भी मैजिस्ट्रेट को कुछ अधिकार दिया गया है वोर्गटस आदि देने में। धारा ९ में सूचना प्रकाशित करके सूचना देने के ३ महिना के अन्दर उनको अपनी जमीन चुन लेनी होगी, अगर इस अवधि में नहीं चुनेंगे तो सरकार का हक होगा चुनने का। धारा १० और १५ साधारण तौर पर संशोधित है। धारा २७ की जगह पर एक नयी धारा रखी गयी है जिसमें अधिकृत जमीन जिसको दी जायेगी उसको क्या देनी पड़ेगी। व्यक्ति के लिये क्या कीमत होगी और कोअपरेटिव के लिए ५० प्रतिशत नाम देना होगा। धारा २९ में संसोधन किया गया जिसमें चीनी मिलों को १०० एकड़ दी गयी। धारा ४५ में संशोधन है।

१६ जून' १९७२ को परिषद से स्वीकृत कराकर आपने इस विधेयक को यहाँ लाया है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि १९६२ के कानून में १२ चैप्टर्स हैं। इसमें धारा ४६ है, उप धारा काफी है, और शिड्यूल्स भी है। शिड्यूल्स में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया है। शिड्यूल्स अपनी जगह पर है। जो संशोधन विधेयक आपने लाया इसके बारे में कल अविश्वास के प्रस्ताव पर भी आपने इस पर जोरदार शब्दों में बोला। मुख्य मंत्री ने कहा कि यह बहुत क्रांतिकारी विधेयक है मगर किसी ने विरोधी पक्ष से उनको इसके लिए धन्यवाद नहीं दिया, इसलिए अफसोस जाहिर किया। राजस्व मन्त्री को तो कल

मौका नहीं मिला, आज उन्होंने अविश्वास का प्रस्ताव का उल्लेख करते हुए कहा कि कितना बड़ा काम वे करने जा रहे हैं, मगर इसके लिए हम लोग दो शब्द भी नहीं कहे।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ कि इस कानून से कितनी जमीन मिलेगी और कितनी समता आप ला सकेंगे। १९६२ में सीलिंग कानून तत्कालीन राजस्व मंत्री श्री जानकी रमण मिश्र थे। मेरे जैसे कुछ सदस्यों ने १०/१० घन्टा सदन में बैठकर बैठक में भाग लिया, क्लॉजवाइज डिस-कसन हुआ कुछ संसोधन दिया, मगर माना नहीं गया। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं सदन में एक पत्र पढ़ देना चाहता हूँ जिसे सचिव, राजस्व विभाग को मैंने लिखा था। उसकी एक लाइन यह है :—

१९६२ का जो कानून है उस कानून के मातहत कितनी जमीन आपको मिलेगी ?"

उस पत्र का जबाब राजस्व सचिव से मुझको मिला।

राजस्व सचिव ने मेरे पत्र के जवाब में लिखा है—

"श्री कपिलदेव सिंह—एम० एल० ए०"

आपने जो यह सूचना मांगी है कि लैन्ड सिलिंग के अन्दर १९६२ से अभी तक कितनी जमीन मिली है तो प्राप्त सूचना के अनुसार इसके अन्दर ४९७५-५० एकड़ जमीन मिली है।"

हमारे मित्र श्री सुनील मुखर्जी अभी यहां नहीं हैं। इस सदन में क्रान्तिकारी बात बोलने वाले काफी सदस्य हैं। १९६२ में यह कानून बना और इस कानून के अन्तर्गत यानी हदबन्दी के अन्तर्गत किसी को २०, किसी को ३० और किसी को ५० एकड़ जमीन मिलने वाली थी, लेकिन १९७२ में हमारे पत्र का जवाब आया है कि ४९७५-५० एकड़ जमीन ही सरकार को मिली है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि आपको कितनी जमीन मिली और उसमें से कितनी जमीन आपने बांटी ? कल हमारे मित्र रामलखन बाबू ने कांग्रेस की घोषणा पत्र को पढ़ा। मैंने भी इसको चुनाव के समय पढ़ा था। मैंने कल उनसे मांग लिया इसलिए कि जरा इसमें हम और ताजा हो जाय। मैं आप से पूछना चाहता हूँ कि सचमुच आप

क्या करना चाहते हैं। उस घोषणा पत्र के धारा ४ में लिखा हुआ है: "जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ कांग्रेस की सरकार बनाए जाने हेतु जनता का आदेश मांगते हुए हम अपने प्रधान मंत्री श्री मती इंदिरा गांधी के प्रेरणाप्रद नेतृत्व में, परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद, न केवल अपनी कथनी बल्कि करनी को अपनी जनता के सामने जाँच के लिए पेश करते हैं।" आपने करनी के बारे में कहा है तो मैं राजस्व मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आपको कितनी जमीन मिली है और कितनी मिलने वाली है? आपकी कथनी की बात सभी जानते हैं। जिस महान नेता की प्रेरणा से आप यहाँ बैठे हैं और जिस महान नेता की सौगन्ध खाकर आप जनता के बीच गए, श्रीमान् आपकी कथनी और करनी में क्या फर्क है? पारा ३१ में लिखा है: "कृषि उत्पादन में अधिक कार्यक्षमता और ग्रामीण क्षेत्रों में एक अधिक समतावादी समाज व्यवस्था की कुंजी भूमि सुधार है।" मैं आप से यह पूछना चाहता हूँ कि आपने कितनी जमीन अभी तक बाँटी है? मैं आँकड़े के आधार पर यह बतला दूँगा कि आपने एक परसेन्ट जमीन भी नहीं बाँटी है। आप केवल बचन से बोलने वाले हैं कर्म से कुछ करने वाले नहीं हैं। घोषणा पत्र के पारा ३२ में है: "भूमि सुधारों के मामले में महज कानून पास करना ही काफी नहीं है। कांग्रेस पार्टी बुनियादी स्तर पर इन सुधारों के कार्यान्वयन में सरकार की अपना संगठनीय समर्थन प्रदान करेगी।"

आप संगठनीय की बात करते हैं तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपकी जमीन से किसी को सुविधा मिलने वाली है या मिली है? उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत नामी किताब निकली है जिसका नाम है ऐम्सडर्स रिपोर्ट बाई चेस्टर बौल्स। मैं इस किताब के पृष्ट ११४ की कुछ पंक्तियाँ पद देना चाहता हूँ पृष्ठ ११४ है:

"One of the most important weaknesses in the Nehru Govt. is the inadequacy in land reform. The problem throughout Asia of meeting the age-old cry of the villagers for and of their own is discussed in detail in later chapter, it is suffecient to say here that, despite the fact that land reform has been a long-standing plank in the Congress Party platform and that it is one of the single most critical issues for the success of Indian democracy progrest has been disappointingly slow, On such questions, it

sometimes seemed to me Nehru's very dedication to the legal and constitutional principles of the west have prevented him from acting decisively to strengthen democracy at its roots."

उपाध्यक्ष महोदय, १९५४ में ही चेस्टर वाउल्स ने लिखा है कि किस तरह से इनके नेता ने निर्णय लिया और किस तरह से इनका संगठन कमजोर होता गया। आप क्या चाहते हैं कि इस तरह आपका काम हो जायेगा।

मैं आपको कुछ आंकड़ा देना चाहता हूँ। पहले भी सिलिंग कानून बना और अब भी बन रहा है उनमें क्या अन्तर है ?

आंध्र प्रदेश	२७ से ३२४ एकड़,
आसाम	२५ एकड़,
बिहार	२० से ६० एकड़,
गुजरात	१९ से १३२ एकड़,
हरियाना	२७ से १०० एकड़,
हिमाचल प्रदेश	२७ से १०० एकड़,
केरल	१२ से १५ एकड़,
मध्य प्रदेश	२५ से ७५ एकड़,
उड़ीसा	२० से ८० एकड़,

पंजाब २७ से १०० एकड़, राजस्थान २२ से ३३६ एकड़, तामिलनाडू १२ से ६० एकड़, उत्तर प्रदेश ४० से ८० एकड़, वेस्ट बंगाल १२·४ से १७ ३ एकड़, दिल्ली २४ से ६० एकड़, मनीपुर २५ एकड़, त्रिपुरा २५ से ७५ एकड़, माहे १५ से ३६ एकड़ है। उसके बाद यह नया संशोधन हो रहा है और कई जगह हुआ भी है। आपने अखबारों में देखा होगा कि स्टेटसमैन की स्टडी रिपोर्ट निकली है कि कई प्रान्तों में १९७२ के चुनाव के बाद जमीन की हदबन्दी का कानून बना है। उत्तर प्रदेश में कानून बना है जिसमें संशोधन हुआ है कि जिस जमीन में दो फसल होती हो और उस फसल को एक साल में चार बार पानी दिया जाय तो उसको सिंचित जमीन मानी जायेगी। पंजाब में प्रति व्यक्ति आय १००० रु० है, लेकिन पंजाब में जो कानून बना है कि वह साढ़े १७ एकड़, जमीन शुरू में रखा है। उसके

बाद २५ एकड़ तक छूट है। उसके बाद जमीन के भैलूएशन को देखकर जमीन की बाँटने का जिक्र है। भूमिसुधार कानून १९६१ में बना और ६३ में लागू हुआ। मध्यप्रदेश में इससे ३० लाख एकड़ जमीन मिली। उसमें अधिक जमीन सरकारी है। आंध्र प्रदेश में ३ लाख एकड़ जमीन मिलने की बात है। वहां २.८ लाख आदमी जो बिना जमीन के जीवन बिता रहे हैं, उनमें जमीन बाँटने की बात है। इससे आप समझ सकते हैं उनको क्या जमीन मिलने वाली है। महाराष्ट्र और तामिलनाडू में भी कानून बना है। वहाँ क्या जमीन मिलने वाली है उसकी संख्या अभी हमारे पास नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण के लिए बतला देना चाहता हूँ कि १९६० ६१-६२ के दरम्यान जमीन हदबंदी जो कानून बना उस समय सारे देश में कांग्रेस की सरकार थी और उसीका शासन था। सारे देश में ३३ करोड़ एकड़ जमीन पर खेती होती है और जमीन आपको मिली ९ लाख ६४ हजार आठ सौ एकड़ तो आप ही सोचें कि जहाँ इतनी जमीन में खेती होती है और आपको मिला मात्र ९,६४,८०० एकड़। अबतक आपने लोगों में जमीन बाँटी ४,६४,१७६ एकड़। यही तो आपके देश का हाल है। मैं आपको बताऊँ कि हमारी जो राष्ट्रीय आय है उसका ५० प्रतिशत खेती से और ७० प्रतिशत लोगों को काम इससे मिलता है यानी कृषि से ७० प्रतिशत लोगों को काम मिलता है। हमारे यहाँ एक करोड़ परिवार भूमिहीन है और ३-५ करोड़ परिवार को एक एकड़ से कम जमीन है। इस तरह से आप दोनों को मिला दीजिये तो होगा कि ४-५ करोड़ परिवार बिना जमीन के हैं। और एक परिवार में औसत ५ आदमी ही रखिये तो २२-२३ करोड़ आदमी हमारे यहाँ बिना जमीन के हैं। और जमीन पर किसी-न-किसी तरह निर्भर करते हैं, और बिहार में ऐसे कितने लोग हैं जिनको आप इस कानून को पास होने के बाद जमीन देना चाहते हैं? उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि सरकारी सोर्स से जमीन पटती है और निजी सोर्स से जो जमीन पटती है तो आप बतावें किस तरह किस कानून के जरिये आप यह नियत कर सकेंगे कि जमीन सिंचित है। उपाध्यक्ष महोदय, एक आर्टिकिल्स निकला है "एग्रीकल्चर सिचुयेशन इन इन्डिया" जैसे श्री बी०पी० घोड़ा, ज्वायंट सेक्रेटरी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने लिखा है ग्राउन्ड वाटर सोर्स के बारे में। उन्होने लिखा है कि ३७.०७ प्रतिशत जमीन सरकारी सोर्स से पटती

है और २९ प्रतिशत जमीन निजी सोर्स से पटती है। पंजाब में, महाराष्ट्र और गुजरात में उसके लिए आप छूट देते हैं। आप सेलेक्ट करने लगते हैं कि सरफेस वेल, ट्यूबवेल को २ फीट, ४ फीट, ६ फीट और ८ फीट में। उपाध्यक्ष महोदय, जब कानून बना १९६१ में उस समयके जनगणना के मुताबिक २९ प्रतिशत लोग उसमें लगे थे और ७१ के जनगणना के मुताबिक ३८ प्रतिशत हो गये हैं। तो आज जो आप जमीन की हदबंदी करना चाहते हैं उससे आप बतावें कि कितने लोगों को आप जमीन देंगे। मैंने इसके पूर्व दो आँकड़े आपके सामने पेश किया। अब ज्योग्रफिकल एरिया जो बिहार का है उसके संबंध में कहना चाहता हूँ कि बिहार का ज्योग्रफिकल एरिया ४, २८, २३, ०९४ एकड़ है। इसमें टोटल क्राप्ड एरिया है २, ७३ ३७, ५०२ एकड़ और नेट एरिया है २,०७,४५१,७५२ एकड़ और ऐसी जमीन जिसमें एक फसल से ज्यादा पैदा होती हो वैसी जमीन है ६५,९१,७४३ एकड़। इस तरह से आपको पता चल जायगा कि आपके पास कितनी जमीन है। बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या है उसकी चर्चा आप यहाँ नहीं करना चाहते हैं। हम देखते हैं कि इस बात पर राजस्व मंत्री संचिका और कागज उलटने लगते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप कुछ फैक्ट बतायेंगे, आप तो होशियार आदमी हैं। चाहे किसी की मिनिष्ट्री हो—दारोगा बाबू की या भोला पासवान शास्त्री की या पांडे जी की, ये अपना मंत्री पद प्राप्त कर ही लेते हैं या नहीं तो ये दिल्ली तक अपना सोर्स पहुँचाते हैं। अब मैं थोड़े में आपको होल्डिंग के बारे में बताता हूँ—

०-०९ डिसमिल या तीन कट्ठा तक की जमीन का होल्डिंग २८ लाख ७८ हजार ६२२ है। ०-५० डिसमिल से ०-९९ डिसमिल या एक एकड़ जमीन का होल्डिंग ७ लाख ८९ हजार ९०२ है। एक एकड़ से अढ़ाई एकड़ तक जमीन का होल्डिंग १२ लाख ७५ हजार ४५२ है। पाँच एकड़ से साढ़े सात एकड़ जमीन का होल्डिंग ६ लाख २८ हजार है। साढ़े सात एकड़ से ९-९९ एकड़ तक की जमीन का होल्डिंग तीन लाख चार हजार है, दस एकड़ से साढ़े बारह एकड़ तक जमीन का होलिडग एक लाख ८९ हजार है, साढ़े बारह एकड़ से १४-९९ एकड़ तक की जमीन का होलिडग एक लाख दो हजार है, १५ से १९-९९ एकड़ तक की जमीन का होलिडग ९८ हजार है, २० से २४-९९ एकड़ तक की जमीन का होलिड़ग ६८

हजार है, २५ से २९-९९ एकड़ तक की जमीन का होल्डिंग ३० हजार है, ३० से ४९-९९ एकड़ जमीन का होल्डिंग ४२ हजार है और ५० हजार है और ५० एकड़ से ऊपर की जमीन का होल्डिंग १४ हजार एकड़ है। यह होल्डिंग बिहार का है। आप जबतक छोटे होल्डिंग को एक साथ मिलाने की बात नहीं कीजियेगा तबतक इससे क्या होनेवाला है ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनसे दो बातें जानना चाहता हूँ ये जरा बतावें कि जब इस बिल को पास करेंगे तो सही-सही कितनी जमीन मिलेगी और जबाब देते समय यह भी बतावेंगे कि पूर्णिया के मौल बाबू को कितनी जमीन है, दिनेश बाबू को कितनी जमीन है जो आपके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। रघुबंश बाबू को कितनी जमीन है, राजा पी०सी० चन्द को कितनी जमीन है।

दरभंगा के राज परिवार दरभंगा को कितनी जमीन है, सुम्हा डेवढ़ी के गजेन्द्र बाबू और फूलबाबू को कितनी जमीन है, राघोपुर डेवढ़ी और नेहरा डेवरी के लोगों को कितनी जमीन है, लोकही के श्री सूरज प्रसाद और श्री गया प्रसाद को कितनी जमीन है, राजनगर के श्री देवानन्द झा को कितनी जमीन है।

अब चम्पारण जिले में आइये।

***श्री रामलखन सिंह यादव**—आपके भाषण से हम पर असर पड़ा है। जो बिल हमारे राजस्व मन्त्री ने पेश किया है उससे एक इंच भी जमीन किसी को निकलनेवाली नहीं है। आप जरा बताइये कि क्या संशोधन हो ताकि लोगों को जमीन मिल सके।

श्री कपिलदेव सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं चम्पारण जिले के बारे में पूछता हूँ कि श्री शत्रुमर्दन शाही को कितनी जमीन है, रामनगर स्टेट को कितनी जमीन है, बेतिया राज को कितनी जमीन है, चीनी मिल मालिकों की जमीन का रकबा क्या है, श्री मारकंडेश्वर सिंह को कितनी जमीन है ?

सहरसा में आइये। आलमनगर के नागेश्वरी बाबू को कितनी जमीन है जहाँ से कांग्रेस प्रेसिडेन्ट श्री विद्याकर कवि जी आये हैं, बलुआ बाजार के बाबू लोगों को कितनी जमीन है, किशनगंज के श्री दयानाथ साहु को कितनी जमीन है, मधेपुरा के ऋषि बाबू को कितनी जमीन है, मुरहो और रानीपट्टी के बिन्देश्वरी बाबू को कितनी

जमीन है, अमरपुर के श्री बाबू को कितनी जमीन है, भरकापुर के श्री चौधरी को कितनी जमीन है ? इसे आप बतलावें।

ऐसे १६४ आदमी बिहार राज्य में हैं जिन्हें १९६२ के कानून के मातहत नोटिस दी गयी थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इनलोगों के पास कितनी जमीन है आप सही-सही बतावें। मुझे पूरी जानकारी है कि बड़हिया में जिसको पाँच हजार एकड़ जमीन है कागज पर उसके पास १२ एकड़ जमीन है, जिसको चार हजार एकड़ जमीन है, दो बेटा है कागज पर १३ एकड़ जमीन है, जिसको ५१ हजार एकड़ जमीन है और एक बेटा है उसके नाम पर सात एकड़ जमीन है। नो लैण्ड रेकर्ड नहीं है वैसी स्थिति में उनकी जमीन को आप कैसे निकालेंगे ? इस अवसर पर अध्यक्ष ने पुनः आसन ग्रहण किया।)

श्री कर्पूरी ठाकुर—अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक मिनट के लिये मैं आपका ध्यान और सदन का ध्यान एक आवश्यक प्रश्न की ओर खिंचना चाहता हूँ। कल जब हमलोगों ने इस जगह से सरकार को बतलाया था कि बैल की कुर्की-जब्ती, खेती के सामानों की कुर्की-जब्ती जारी है और कई जगहों के बारे में नाम और पता देकर बतलाया था और मैंने कहा था कि वारंट जारी है और गिरफ्तारी हो रही है तो सरकार ने एक उत्तर नहीं दिया। इसलिये मैं पूरी जबाबदेही के साथ कह रहा हूँ कि कर्ज वसूली में दर्जनों लोग गिरफ्तार हुए हैं। एसे तो सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन जबावदेही का एहसास करके कहता हूँ कि दर्जनों लोग गिरफ्तार हुए हैं और जो गरीब किसान हैं वे गिरफ्तार हुए हैं। सिर्फ चार दिनों को छोड़कर, जिस दिन कर्ज की वसूली स्थगित आदेश हुआ, उसके बाद चौकठ-किवाड़, खेती के सामानों बैलों की कुर्की-जब्ती जारी है। शाहाबाद जिले के श्री सच्चिदानन्द सिंह जो इस सदन के सदस्य भी हैं उन्हें जानकारी है कि १५ आदमियों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया है। मैं जानना चाहूँगा कि किस-किस जिले में कितनी कुर्की-जब्ती हुई है और किस-किस जिले में और कितने आदमी गिरफ्तार हुए हैं ? सरकार भी कतरा रही है और सरकार ने कहा था कि जुल्म नहीं होंगे, धांधली नहीं होगी। हमारा यह हक है कि हम सरकार से जवाब तलब करें और सरकार इसका ध्यान करे।

श्री चन्द्रशेखर सिंह—उन्होंने जो कुछ कहा है उसको देखूँगा कि क्या हालत है, उस सम्बन्ध में और हमलोगों के निर्णय के मुताबिक आदेश का पालन नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों। उस दिन भी मैंने कहा था, जो स्पेसिफिक केसेज माननीय

सदस्यों ने दिया है उसका आदेश दे दिया गया है। कलसरदार श्री हरिहर प्रसाद सिंह जी ने एक पत्र दिया था उसका आदेश आज हीं लिखकर भेजा है। मेरा आदेश है कि बैल को कुर्कीजब्ती नहीं की जाय मैं कहना चाहता हुँ कि सरकारी आदेश की कोई अवज्ञा नहीं होनी चाहिये।

* श्री पूरन चन्द—अध्यक्ष महोदय, पूरे राज्य के कलक्टरों को आदेश दिया है। लेकिन आज कुर्की-जब्ती के चलते और कर्ज वसूली के चलते लोग परेशान हैं। सुखे से लोग भुखगरी के शिकार हैं, पलामू जिला के भंडरिया के लोग मर रहे हैं, चैनपुर के लोग मर रहे हैं, बालुमाथ के लोग मर रहे हैं, लेकिन जहाँ के लोग मर रहे हैं वहीं कर्जे की वसूली, कुर्की-जब्ती हो रही है और यह बेशर्म सरकार ने इसी सदन में कहा था कि कर्ज वसूली को स्थगित कर दिया गया। लेकिन आपने स्थगित का आदेश नहीं दिया है, मैंने पलामू जिले के कलक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि वसूल स्थगित नहीं हैं बल्कि युद्धस्तर पर वसूली जारी है। जहाँ बिहार जल रहा है, लोग मर रहे हैं, लोग भूखे के शिकार हैं वहाँ आप राहत देने का कोई काम नहीं करके बल्कि यह जघन्य अपराध का काम कर रहे हैं। इसलिये मेरा आग्रह है कि सम्पूर्ण राज्य के कलक्टरों को आदेश देकर कर्ज वसूली को स्थगित करें और कुर्की-जब्ती आदेश वापस लें।

*श्री धनिक लाल मंडल—विरोधी दल के नेता के कहने पर सरकार ने कहा कि हमें स्पेशिफिक नाम और घटना दें, लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार ब्यान जारी करे इस सम्बन्ध में।

*श्री अजित कुमार बनर्जी—मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इनका जो आदेश है, निदेंश है उसका स्पष्ट उल्लंघन हमारे जिले में इनके अधिकारी कर रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि जल्द-से-जल्द ये कारवाई करें।

श्री भोला प्रसाद सिंह—मेरा इलजाम है कि सरकार की ओर जिलाधिका-रियों को स्थगित करने का कोई आदेश नहीं दिया गया है, लेकिन युद्धस्तर पर वसूली का आदेश दिया गया है' ये अभी सदन को गुमराह करने के लिये, बिहार की जनता को गुमराह करने के लिये कह रहे हैं कि आदेश दिया गया है। मैं स्पष्ट कहता हूँ कि जिलाधिकारियों कोई आदेश नहीं है; अगर आदेश है, तो इनके अधि कारी क्यों उसका उल्लंघन कर रहे हैं।

श्री चन्द्रशेखर सिंह—सदन के माननीय सदस्यों को याद होगा कि इसे संबंध में माननीय मुख्यमन्त्री ने एक बयान दिया और उसका जो ओपरेटेड पोरशन्स है उसको निकाल कर सभी कलक्टरों को आदेश दिया गया है कि इसी के अनुसार कार्यपालन करें। कलक्टरों की जो बैठक हुई थी उसमें माननीय मुख्यमन्त्री और मैंने भाग लिया और जो बातें तय हूई उनके अनुसार स्पष्ट रुप से कहा गया है।—

(सदन में हल्ला होने लगा।)

(विरोधी दल की ओर से लोग कह रहे थे कि नहीं कहा है और श्री चन्द्रशेखर सिंह कह रहे थे कल ही कहा है)

श्री भोला प्रसाद सिंह—लिखित आदेश कहाँ है ? मौखिक आदेश है ?

अध्यक्ष—आपने लिखित आदेश दिया है ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह—लिखित आदेश दिया गया है। कल कॉपी लाकर पढकर आपको सुना दूंगा।

अध्यक्ष—उसकी कोपी परिचारित करा दें।

(काफी अशांत वातावरण होने के कारण अध्यक्ष खड़े होकर बोलने लगे)

इस तरह दस बीस माननीय सदस्य उठकर खड़े होंगे तो कोई भी किसी की बात नहीं समझेगा और कार्यवाही अध्यक्ष के द्वारा चलाना असंभव हो जायगा। जो कुछ कहना ही आप एक-एक करके कहें, शांतिपूर्वक कहें। अभी जो प्रश्न उठाया गया उस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मन्त्री ने यह आश्वासन दिया कि उन्होंने लिखित आदेश दिया है और उसकी प्रतिलिपि परिचारित कर दी जायेगी माननीय सदस्यों के बीच। उसके बाद जो कुछ कहना होगा आप कहेंगे। अब आप कृपया आगे की कार्यवाही होने दें।

(पुनः हल्ला होने लगा)

*श्री राम नारायण मंडल—आदेश देने की कोई जरूरत नहीं है। दफा ७ के मुताबिक कोई चीज किवाड़ी या घर के सामान कुर्क नहीं हो सकते। गैर कानूनी काम कर रहे हैं इसको आप रोकें।

* श्री विद्याकर कवि—गंभीर परिस्थिति का यह सूचक है, आक्रोश देख रहे हैं, सदस्यों की चिंता इस बात की सदन का सत्र समाप्त होने जा रहा है, आपने आदेश दिया यह ठीक है, लेकिन वह सतह पर उत्तरा या नहीं इसको सरकार को कड़ाई से देखना चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि सरकार के आदेश से जितने निदेश दिए गए हैं वे पटल पर रख दिए जायँ। सुबे से कब-कब गया है, जिलों में कब कब पहुँचा है और जिलों से प्रखंड लेवेल पर कब कब पहुँचा है सब का पूरा विवरण दिया जाय। सारी बातों की गंभीरता इससे पता चलेगा। मौनसून ब्रेक नहीं किया है बाईचान्स लेकिन हार्ड मैनुअल के लिए जो रुपए गए हैं, उन्होंने जिसके बारे में कहा है, वह पेजा आजतक वहाँ नहीं पहुँचा है। कल पानी बरसेगा तो किस तरह कठिन श्रम योजना लागू होगी? यह गंभीर बात है। कल उन्होंने गलत काम इसलिए किया कि विधान-सभा में जो प्रक्रिया है वह न करके गाय का सिंग भेंस में और भेंस का सिंग बैल में की परिस्थिति में किया। हम भी आज इस गंभीरता को महसूस कर रहे हैं और चाहते है कि वे पूरा बयान दें। जिससे पता चल सके कि कब आदेश गया, आवंटन कब-कब और कहाँ कहाँ गया। इससे सारी बातों का पता चल जायेगा कि इनके आदेश की उपेक्षा की गयी है अथवा नहीं। आज भी संदेह है, उनके आदेश का कार्यान्वयन नहीं हो सका है।

इनके आदेश की उपेक्षा की गयी है और आखिरी सतह तक उसकी कार्यान्विति नहीं की गयी है। यदि इनके आदेश को इस प्रकार से पालन नहीं किया जाता है तो सचमुच यह गंभीर अपराध है और यह सूबे की स्थिति के साथ एक खेलवाड़ हो रहा है। इसलिये सरकार सदन की समाप्ति के पहले एक वक्तव्य दे।

श्री अजीत कुमार बनर्जी—राजस्व मंत्री का जो आदेश गया है उसका पालन नहीं हो रहा है। पेयजल के संकट को दूर करने के लिये सात लाख रुपया का आवंटन किया गया है। लेकिन इसके बावजूद इनके अधिकारी इसका पालन नहीं कर रहे हैं और काम नहीं हो रहा है एच० एम० एल० स्कीम भी नहीं चल रही है।

श्री हरिहर प्रसाद सिंह—मुझे ताज्जुब होता है कि गवंमेंट यहाँ जो कमिटमेंट करती है जो आश्वासन देती है वह या तो इनके अफसरों को सूचित ही नहीं किये जाते हैं या यदि किये जाते हैं तो उसका पालन नहीं किया जाता है या सदन को

भुलावा देने के लिये मिनिस्टर लोग सदन में कमिटमेंट करते हैं। नहीं तो मिनिस्टर आदेश दे और अफसर उसका पालन नहीं करे। भोजपुरी कहावत है, अवर देवी, जव्वर वोका। तो या इनके अफसर लोग ही इनसे जवर हैं इसलिये इनके आदेश की कैरिड ऑन नहीं करते है या सदन को भुलावा देने के लिये ये यहाँ आश्वासन देते हैं। हमारी सरकार के समय भी एक आदेश का पालन नहीं हुआ तो हमें एक विशेष स्टेप लेना पड़ा था और उसके बाद उसका पालन हुआ। तो वैसा आपको करना चाहिये। श्री कवि ने ठीक ही कहा कि जब हम रुपया देते है तो हमारा काम है देखना कि उसका कार्यान्वयन होता है या नहीं।

श्री चन्द्रशेखर सिंह—मेरे पास आदेश की कॉपी है जो अंग्रेजी में है उसको आप कहें तो पढ़ देता हूं।

श्री कर्पूरी ठाकुर—आपको शर्म नहीं आती है कि अंग्रेजी में आदेश निकलवाते हैं।

अध्यक्ष—आप उनको पढ़ने दें।

(इस अवसर पर सदन में हल्ला हो रहा था)

श्री चन्द्र शेखर सिंह—अगर कहा जाय तो इसको हिन्दी में अनुवाद कर दें।

अध्यक्ष—पढ़ा जाय।

श्री चन्द्र शेखर सिंह—(इस अवसर पर एक अंग्रेजी में वायरलेस मेसेज पढ़ने लगे)

(इस अवसर पर पुनः हल्ला होने लगा)

अध्यक्ष—मैंने माननीय विरोधी दल के नेता से पूछ कर ही मंत्री को अंग्रेजी में पढ़ने की इजाजत दी है, किन्तु इन्हीं के दल से फिर विरोध होने लगा)

श्री कर्पूरी ठाकुर—अंग्रेजी से हमारा जबरदस्त विरोध है, किन्तु सदस्यों में सर्कुलर में क्या है उसकी जानकारी के लिये जो व्याकुलता है, उसको देखते हुए मैंने अध्यक्ष महोदय, के पूछने पर 'हाँ' कहा है।

श्री विनायक प्रसाद यादव—अंग्रेजी को फिर से लागू करने के लिये यह साजिश है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह—

"WIRELESS MESSAGE"

CRASH

FROM : HASSAN,

DEPUTY SECRETARY REVENUE

To : All Distrates

It has been brought to the notice of the Govenment that implements of husbandry including plough bullocks and seed grains of agriculturists are also being attached in execusion of certificates for recovery of government dues. such attachment will be illegal in vies of the proviso (b) To section 18 (1) of the Bihar and Orissa public demands recovery act, 1914 (.) kindly ensure through necessary advice to the certificate courts that the provisions of proviso (b) of the above section 18 (1) are strictly followed in your district.

(इस अवसर पर पुनः हल्ला होने लगा)

मुख्य मंत्री का आदेश हुआ था और वकतव्य हुआ था उसी के अनुसार यह हुआ।

श्री भोला प्रसाद सिंह—वह धारा दूसरा हैं। सरकार ने जो पहले आश्वासन दिया था वह दूसरा था। यह तो अँग्रेजों के टाइम का बना हुआ है।

अध्यक्ष—मेरा जो अनुभव हो रहा है, यहाँ की कार्रवाई को चलाने में, इसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि जो सरकारी आदेश दिया गया, सकुंलर निर्गत किया गया, उसकी अवहेलना जहाँ-जहाँ हुई है और माननीय सदस्यों ने जो सूचना दी है, सरकार इसकी छानवीन करावे। चूँकि अब समय दो दिन का है, अगर इस अवधि में वकतव्य न हो तो भी इसकी छानवीन जारी रहे, और कार्रवाई हो।

एक सदस्य—मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

अध्यक्ष—उससे आपको अवगत करा देंगे।

(इस अवसर पर श्री सच्चिदानन्द सिंह कुछ कहने के लिए खड़े हुए)

* **श्री सच्चिदानन्द सिंह**—अध्यक्ष महोदय, मैं २० बार खड़ा हुआ हूँ और एक मिनट भी समय आपने नहीं दिया है।

अध्यक्ष—क्या आप मेरे निर्णय के बाद भी कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, एक मिनट में कहें।

श्री सच्चिदानन्द सिंह—मेरा आरोप किसी सरकारी कर्मचारी पर नहीं है। मेरा आरोप हैं सरकार पर, जो आदेश राजस्व मन्त्री ने दिया है उसी पर है, गाय भैंस की गिरफ्फतारी न हो इसके लिए सरकार क्या कार्रवाई करना चाहती है?

अध्यक्ष के बार-बार कहने पर भी मा० सदस्य श्री सच्चिदानन्द सिंह बोलते आ रहे थे।

अध्यक्ष—मैं विरोधी दल के नेता से कहना चाहता हूं कि इस तरह से मेरे लिये या किसी भी अध्यक्ष के लिए काम करना मुश्किल है।

अत्यावश्यक लोक महत्व के विषयों पर ध्यानाकर्षण एवं उनपर सरकारी वक्तव्य:

(क) पटना नगर में बम विस्फोट की दुर्घटना।

* **श्री सुरेन्द्र झा सुमन**—अध्यक्ष महोदय, प्राप्त समाचारों से प्रकट है कि पटना नगर में इधर दिन प्रतिदिन बम विस्फोट की दुर्घटना जारी है जिससे नागरिकों में आतंक छा गया है। गत ६ जून को कोतवाली पुलिस स्टेशन के परिसर में बम फेंका गया, फिर १० जून की रात को दो सिनेमा घरों के पास बम फूटे। बाद में पटना कॉलेजियट और चौहट्टा मस्जिद के निकट भी बम विस्फोट हुआ। फिर १८ जून को बिहारी साव लेन में भी दो-दो बम विस्फोट हुए हैं। इस तरह बम विस्फोट का सिलसिला जैसे नियोजित ढंग से चल रहा है। इन घटनाओं की गंभीरता तब और बढ़ जाती है जब पड़ोस के प्रदेश के कई स्थानों में अभी उपद्रव आतंक जारी है। इस ओर बिहार सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मैं चाहता